...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...-पत्र संख्या :-61/2020 दायर दिनांकः 09.07.2020

...CMS NO:- 2020/00104

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सोहनी बाई पत्नि बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामप्रकाश पुत्र श्रवणलाल जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मडूलाल पुत्र श्रवणलाल जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 232 के खसरा संख्या 124/06-16, 150/07-16 तथा 356/04-12 कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि के खसरा संख्या 124 में आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम लाम्बाबरडा से माताजी के होता हुआ अन्य खेतो में जाने वाले रास्तों से फटकर खसरा संख्या 128 व 123 के मध्य की मेड पर होता हुआ, खसरा संख्या 124 होकर निकल रहा था। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरुद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ-पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा संख्या 124 तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 123 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 123 रकबा 0.9708 है0 में से रकबा 284 फीट • 14 फीट = 3976 वर्ग फीट= रकबा 0. 037 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन [illegible] ...ट जेतपुर में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थ... [illegible] दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब [illegible] ...रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

उचित बताया है। ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के की खाता संख्या 232 के खसरा संख्या 124/06–16, 150/07–16 तथा 356/04–12 कुल 3 कुल रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 123 रकबा 0.9708 में से रकबा 284 फीट • 14 फीट = 3976 वर्ग फीट= रकबा 0.037 है0 भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बैंनवॉ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner